



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052026-272680
CG-DL-E-18052026-272680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2460]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 2460]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2026

का.आ. 2552(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 01 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से संबंधित उक्त अधिनियम के उपबंध, जहाँ तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्या 58 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फ़ा. सं. 40/3/2025-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2026

S.O. 2552(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 58 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) shall come into force.

[F. No. 40/3/2025-R&R]

PIYUSH SINGH, Addl. Secy.